

अभियोजन निदेशालय,  
75/38, इन्दर रोड़ पो०चन्द्र रोड़,  
डालनवाला देहरादून।

पत्रांक:-अभि०नि०/अनु०-एक/94(स्था०)/2021/273

दिनांक: 9 अप्रैल, 2021,

-:कार्यालय आदेश:-

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-102/XXX(2)/18/30(13)/2017, दिनांक 14.04.2018 के अनुसार धारा-27 में प्रदत्त अधिकारों के अर्न्तगत धारा-4(3) के अनुसार किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु सुगम एवं दुर्गम जनपदों का निर्धारण पूर्व में कर दिया गया है, जो निम्न प्रकार है:-

सुगम कार्यस्थल

- |                    |                    |                       |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| (1) जनपद देहरादून, | (2) जनपद हरिद्वार  | (3) जनपद ऊधमसिंह नगर, |
| (4) जनपद नैनीताल,  | (5) जनपद अल्मोड़ा, | (6) जनपद टिहरी,       |

दुर्गम कार्यस्थल

- |                       |                     |                    |
|-----------------------|---------------------|--------------------|
| (1) जनपद पौड़ी,       | (2) जनपद उत्तरकाशी, | (3) जनपद चमोली,    |
| (4) जनपद रुद्रप्रयाग, | (5) जनपद चम्पावत,   | (6) जनपद बागेश्वर, |
| (7) जनपद पिथौरागढ़,   |                     |                    |

अतः शासनादेश दिनांक 14.04.2018 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(ए०पी० अंशुमान)  
निदेशक अभियोजन  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) नोटिस बोर्ड हेतु।
- (2) सरकार की वेबसाईड हेतु।

(ए०पी० अंशुमान)  
निदेशक अभियोजन  
उत्तराखण्ड, देहरादून।